संख्या-1/2019-2-ई.एम./2019-का-4-2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 24 मई, 2019

विषय:- सेवा संवर्गो की समस्याओं के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की मांगों/समस्याओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, इनका निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24.05.2012, 07.01.2013, 19.08.2013, 21.10.2013, 21.07.2015, 30.09.2015, 09.12.2015, 20.01.2016, 13.04.2016, 27.07.2016, 09.08.2018, 13.02.2019 एवं दिनांक 11.03.2019 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों, विभागाध्यक्षों, मण्डल/ जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही नहीं की जा रही है और कर्मचारियों की समस्यायें निस्तारित नही हो पा रही हैं। कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक से समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करते हैं, फलस्परूप ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, उनके संबंध में भी उक्त स्तरों पर बैठकें करनी पड रही हैं, यह स्थिति उचित नही है।

अत: अपाको पुन: निम्नवत निर्देशित करने का मुझे निदेश हुआ है:-

1. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिन मांगों को शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो, उन्हें समय से शासन को संदर्भित कर दिया जाय ।

2. विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारियों तथा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें आहूत कर समस्याओं का निराकरण कराया जाय । जिन समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा संभव न हो, को संबंधित विभागाध्यक्षों को संदर्भित कर दिया जाय ।

3. समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा उन्हें संदर्भित की गयी मांगों पर तथा सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें प्रत्येक माह की 05 तारीख को आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय । ऐसी मांगें, जिनका निराकरण उनके द्वारा संभव न हो सके, उनको संबंधित प्रशासनिक विभागों को संदर्भित कर दिया जाय ।

4. प्रदेश स्तर के सेवा संगठनों की मांगों/ समस्याओं तथा विभागाध्यक्षों द्वारा संदर्भित की गयी मांगों के संबंध में विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव-गण द्वारा प्रत्येक माह की

http://shasanadesh.up.nic.in

10 तारीख को संबंधित सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आहूत कर, मांगों का निराकरण कराया जाय ।

5. जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर संभव न हो, को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक विभागीय सुझावों के साथ कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया जाय, ताकि कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त उक्त मांगें निर्णय हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जा सके ।

2. कार्मिक विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी रैण्डम आधार पर विभागों में जाकर बैठकों के होने की पुष्टि भी करेंगें। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या-2-ई/.एम.2009)1-का-(4-2019 तद्दिनांक। ,

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त् मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in